<u>अति–आवश्यक</u>
<u>समयबद्ध</u>

संख्या : 12–1/वाहनों की फिटनेस/परिवहन– 1092375
कार्यालय परिवहन निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।

प्रेषित

1. समस्त पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण,
   हिमाचल प्रदेश ।

2. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश ।

3. समस्त मोटर वाहन निरीक्षक,
   हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला– 171004..............02/11/ 2021

विषयः– **शैक्षणिक संस्थानों की बसों / वाहनों की पासिंग–एवं–उचित रख–रखाव बारे ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में आप सभी के ध्यान में लाया जाता है कि कोरोना महामारी में एक लम्बे अंतराल के बाद प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुल रहे हैं। स्कूल बंद होने के उपरान्त इन संस्थानों में कार्यरत बसें/वाहन काफी समय से नहीं चलें हैं और सम्भवतः कई मामलों में बसों की पासिंग–एवं–मैकेनिकल फिटनेस भी लम्बित हो सकती है ।

मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करवाना परिवहन विभाग का दायित्व है । साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग नोडल ऐजेन्सी है । इसी प्रयास में स्कूली छात्रों की सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन के लिए विभाग सदा प्रयासरत है । शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत बसों/वाहनों के उचित रख–रखाव एवं संचालन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या टी.पी.टी.–ए(7)–1/2018 दिनांक 12.10.2018 (प्रति संलग्न) के तहत विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं । कोरोना महामारी से छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार के स्वास्थय एवं शिक्षा विभाग द्वारा भी समय–समय पर स्कूल प्रबन्धन को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं ।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले शैक्षणिक संस्थानों से सम्बन्धित बसों की शत–प्रतिशत फिटनेस/पासिंग सुनिश्चित करते हुए विशेष चैकिंग अभियान के अंतर्गत बसों की जांच के दौरान पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा पासिंग

के दौरान ऐसे वाहनों को वरियता के आधार पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करें ताकि बसों/वाहनों में छात्रों के सफर करते समय उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो ।

इस कार्य को एक विशेष अभियान के अन्तर्गत पूर्ण करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को 30 नवम्बर 2021 से पूर्व भेजना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

अनुपम

निदेशक परिवहन
हिमाचल प्रदेश

नस्ति संख्या : यथोपरि/2021– **दिनांक**

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार को इस आशय से प्रेषित है कि समस्त स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बसों/वाहनों की फिटनेस/पासिंग व उचित रखरखाव बारे आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें ।
4. सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार को इस आशय से प्रेषित है कि समस्त तकनीकी संस्थानों द्वारा संचालित बसों/वाहनों की फिटनेस/पासिंग व उचित रखरखाव बारे आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें ।
5. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–3 को इस आशय से प्रेषित है कि वे स्कूलों द्वारा संचालित बसों/वाहनों की फिटनेस/पासिंग व उचित रखरखाव करवाने बारे स्कूल प्रबन्धन को आवश्यक निर्देश जारी करें ।
8. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला– 171002 को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

निदेशक परिवहन
हिमाचल प्रदेश

अति–आवश्यक
समयबद्ध

संख्या : 12–1/वाहनों की फिटनेस/परिवहन– 1092375
कार्यालय परिवहन निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।

प्रेषित

1. समस्त पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण,
हिमाचल प्रदेश ।

2. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।

3. समस्त मोटर वाहन निरीक्षक,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला– 171004....................08/11/2021

विषयः– **शैक्षणिक संस्थानों की बसों / वाहनों की पासिंग–एवं–उचित रख–रखाव बारे ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में आप सभी के ध्यान में लाया जाता है कि कोरोना महामारी में एक लम्बे अंतराल के बाद प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुल रहे हैं। स्कूल बंद होने के उपरान्त इन संस्थानों में कार्यरत बसें/वाहन काफी समय से नहीं चलें हैं और सम्भवतः कई मामलों में बसों की पासिंग–एवं–मैकेनिकल फिटनेस भी लम्बित हो सकती है ।

मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करवाना परिवहन विभाग का दायित्व है । साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग नोडल ऐजेन्सी है । इसी प्रयास में स्कूली छात्रों की सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन के लिए विभाग सदा प्रयासरत है । शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत बसों/वाहनों के उचित रख–रखाव एवं संचालन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या टी.पी.टी.–ए(7)–1/2018 दिनांक 12.10.2018 (प्रति संलग्न) के तहत विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं । कोरोना महामारी से छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार के स्वास्थय एवं शिक्षा विभाग द्वारा भी समय–समय पर स्कूल प्रबन्धन को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं ।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले शैक्षणिक संस्थानों से सम्बन्धित बसों की शत–प्रतिशत फिटनेस/पासिंग सुनिश्चित करते हुए विशेष चैकिंग अभियान के अंतर्गत बसों की जांच के दौरान पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा पासिंग

के दौरान ऐसे वाहनों को वरियता के आधार पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करें ताकि बसों/वाहनों में छात्रों के सफर करते समय उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो ।

इस कार्य को एक विशेष अभियान के अन्तर्गत पूर्ण करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को 30 नवम्बर 2021 से पूर्व भेजना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

निदेशक परिवहन
हिमाचल प्रदेश

नस्ति संख्या : यथोपरि/2021– **दिनांक** 08/11/2021

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार को इस आशय से प्रेषित है कि समस्त स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बसों/वाहनों की फिटनेस/पासिंग व उचित रखरखाव बारे आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें ।
4. सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार को इस आशय से प्रेषित है कि समस्त तकनीकी संस्थानों द्वारा संचालित बसों/वाहनों की फिटनेस/पासिंग व उचित रखरखाव बारे आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें ।
5. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–3 को इस आशय से प्रेषित है कि वे स्कूलों द्वारा संचालित बसों/वाहनों की फिटनेस/पासिंग व उचित रखरखाव करवाने बारे स्कूल प्रबन्धन को आवश्यक निर्देश जारी करें ।
8. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला– 171002 को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

निदेशक परिवहन
हिमाचल प्रदेश